कार्यालय प्राचार्य-शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

Website: www.gdcr.ac.in Email: principal@digvijaycollege.com Phone: 07744-296331

350/Acad

राजनांदगांव, दिनांक 22/04/2024

//सूचना के अधिकार अधिनियम उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु नियम//

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय प्रस्ताव क्रमांक – 8 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि परीक्षार्थी लिखित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना चाहते हो तो निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर संबंधित लिखित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराने का अनुमोदन किया गया।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति में न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए कहा कि केवल पुनर्मूल्यांकन के उपरान्त पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर प्रदाय करने पर सहमति दर्शायी गयी।

चूंकि सेमेस्टर परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतएव उक्त नियम के तहत परीक्षार्थी की लिखित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन हेतु नहीं दिया जा सकता।

प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
Web site- www.g[illegible]
Email: [illegible]college.com
☎ : 07744-225036

सूचना के अधिकार अधिनियम उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु नियम

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय प्रस्ताव क्रमांक –8 के अनुसार – पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि परीक्षार्थी लिखित उत्तर–पुस्तिका का अवलोकन करना चाहते हों तो निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर संबंधित लिखित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराने का अनुमोदन किया गया ।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए कहा कि केवल पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त पुर्नमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर प्रदाय करने पर सहमति दर्शायी तथा यह भी कहा गया कि दोषी मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन से कम से कम पांच वर्ष के लिये मूल्यांकन से वंचित किया जाये तथा इसकी सूचना सभी महाविद्यालय को भी दी जायें ।

समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि केवल पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त पुर्नमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर प्रदाय किया जाये । दोषी मूल्यांकनकर्ता को पांच वर्ष के लिये मूल्यांकन से वंचित किया जाये तथा इसकी सूचना सभी विश्वविद्यालय को दी जाये ।

स्वशासी

Scanned with CamScanner